

149 SK

By Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/99/2014-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 21st April, 2014

24 APR 2014

To

Shri Deepak Rathi,
592/20, Prem Nagar,
Behind Police Line,
Rohtak-124001.

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 18.03.2014 received in this unit on transfer on 15.04.2014 for providing information on Point Nos. (2), (3) and (8) of your application.

2. In this regard, the point-wise reply is as under:

- (1) With reference to point No.(2) of your application, it is stated that this unit is concerned only with provision of security cover to individuals based on assessment of threat.
- (2) With regard to point No.(3) of your application, it is stated that the number of categorized protectees varies from time to time based on the threat assessment made by the Central Security Agencies. However, as on date, there are 62 number of Z category protectees in the Central list.
- (3) Query on Point No.(8) of your application does not come under the definition of 'Information' under the RTI Act-2005. However, as indicated above, security to an individual is provided on the basis of threat assessment carried out by security agencies.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Sailesh, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120
Fax:23438077

Copy to: Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 11.04.2014.

जन सूचना अधिकारी
गृह मन्त्रालय,

2038/RTI/2014
3/04/14

मन्त्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi

26 MAR 2014

भारत सरकार, नई दिल्ली

वाहित सूचना लेने हेतु। RSI/0

र.सं. 437
CR.N.
1/PO No. 23 F 20729

13
182

निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध
करवाने की कृपया करें।

- 1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल सकता है? अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है?
- 2) क्या ~~राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ~~ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत है? अगर हाँ तो कहां से पंजीकृत है?
- 3) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को 2 श्रेणी या इसी तरह की सुरक्षा उपाय कर रखी है?
- 4) भारत में कितने एधाक्सियों को 2 श्रेणी की सुविधा उपान कर रखी है?
- 5) ~~क्या~~ सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था अगर हाँ तो किस सन में लगा था और उसकी वजह क्या थी?
- 6) ~~क्या~~ जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका क्या नियम है? गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखता है? विदेशों से भारत में कितने संगठनों को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए?
- 7) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा ले सकते हैं? उस नियम का पूरा विवरण चाहिए?
- 8) विदेश से प्राप्त करने के क्या नियम हैं? पूरा विवरण चाहिए।
- 9) क्या संविधान के अनुसार सभी नागरिक समाज हैं? अगर हाँ तो कुछ नागरिकों को 2 श्रेणी की सुरक्षा बनाने का क्या

क्या जम्मू-कश्मीर मामले पर भी कोई मन्गलाप है अंग्रे, पं
हो तो उसके व्यर्थ क्या है।

क्या मैं दूसरे देशों के साथ सन्धि किस आधार पर
की जाती है पूरा विवरण चाहिए

(11) सिन्धु जल सन्धि किस आधार पर की गई
इसकी क्या वजह थी। पूरा विवरण चाहिए

(12) सिन्धु जल सन्धि किन-किन देशों के बीच हुई। इस
सन्धि के बीच क्या फैसला हुआ पूर्ण विवरण चाहिए

(13) जब तक भारत की किन-किन देशों के साथ
सन्धियाँ हुई हैं और उनमें क्या निर्णय हुए हैं पूर्ण
विवरण चाहिए

धन्यवाद

दिनांक - 18/3/14

निवेदन

दीपक शर्मा

592/20 जेमनगर

पुलिस लाइन के पीछे

श्री हतक - 12400/

फोन - 9215887388